बैठक कार्यवाही विवरण

मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000052896, M.L. No.- 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 28 जून 2024 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ.कोटा/माईन्स–235/286–288 दिनांक 07/05/2024 व जिला कलक्टर, कोटा के आदेश क्रमांक–प.2( )राजस्व–I/जनसुनवाई/24/987 दिनांक 14/05/2024 की अनुपालना में मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000052896, M.L. No.- 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 28/06/2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील– रामगंजमण्डी/चेचट, जिला–कोटा" में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस व सांध्य दैनिक इवनिंग न्यूज में दिनांक 22/05/2024, **(परिशिष्ट–'अ')** को प्रकाशित करवाई गई थी तथा जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी–गण व क्षेत्र के ग्राम वासी तथा अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर **(परिशिष्ट–'ब')**, जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग **(परिशिष्ट–'स')** एवं फोटोग्राफ्स **(परिशिष्ट–'द')** सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुको का स्वागत किया।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कोटा द्वारा अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन व अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

श्री अमित सोनी ने खनन परियोजना के तकनीकी सलाहकार मैसर्स वितारता एनवायरो सर्विसेज प्रा. लि. के प्रतिनिधि को प्रस्तावित परियोजना के बारे में एलईडी टीवी के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजनाओं का परिचय, परियोजनाओं का प्रस्ताव, परियोजनाओं की भौगोलिक स्थिति, कलस्टर नक्शा, नकल व खसरा नक्शा, खदान पर जाने का रास्ता, सामान्य विवरण, जलवायु विज्ञान, सामाजिक स्थिति विवेचन, स्थानीय भू-गर्भ शास्त्र, जल निकासी, भू-वैज्ञानिक एवं खनन योग्य भण्डारण, खनन की आयु, खनन का उपयोग, खनिज का उपयोग, खनन विधि, मशीनरी का विवरण, रोजगार की संभावना, योजना की अवधि के अन्त में भूमि का उपयोग, अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण विश्लेषण के परिणाम, पारिस्थतिकी एवं जैव विविधता अध्ययन, सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, वातावरण, अनुमानित पर्यावरण अपेक्षित प्रभाव एवं उनके अल्पीकरण के उपाय, पर्यावरण मापदण्डो की निगरानी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट, प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण, व्यवसायी/कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कलस्टर क्षेत्र के 10 किलोमीटर बफर जोन की जानकारी, वायु प्रदूषण व नियत्रंण के उपाय व जल की गुणवत्ता का प्रबंध, ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय के बारे में विस्तृत रूप से एलईडी टीवी के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय को बताया गया।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बताया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल कम होने के कारण खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना मुश्किल होता है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी/तहसीलदार से भूमि चिन्हित कर नियमानुसार सघन वृक्षारोपण किया जावें।

इसके पश्चात श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों व जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया, साथ ही बताया की कोई भी उपस्थित नागरिक लिखित व मौखिक रूप से अपने सुझाव यहां दे सकते है। यहां पर उपस्थित कम्पनी प्रतिनिधि व तकनीकी सलाहकार उत्तर देंगे।

उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

1. श्री हेमराज मीणा, ग्राम-चेचटः- श्री हेमराज मीणा द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं हैं क्योकि खनन क्षेत्र में एकत्रित जल कृषि हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

2. **श्री जुगल किशोर, ग्राम–चेचटः–** श्री जुगल किशोर द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं हैं क्योकि खनन क्षेत्र में एकत्रित जल कृषि हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

3. **श्री मदन लाल, ग्राम–चेचटः–** परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, अतः परियोजना से कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा द्वारा जन समुदाय को बताया गया की उनके द्वारा सार्वजनिक जरूरतों, मुआवजा, श्रम कल्याण या वृक्षारोपण के संबंध में अपनी बात प्रस्तुत कर सकते है।

श्री सर्वजीत सिंह आनन्द, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वह रामगंजमण्डी खनन एसोसिएशन के अध्यक्ष है व रामगंजमण्डी खनन एसोसिएशन द्वारा क्षेत्र के लोगो का ख्याल रखा जाता है तथा एसोसिएशन द्वारा लोगों के लिए सार्वजनिक उपयोग कि जरूरतों को पूरा करने मे योगदान दिया जाता है।

श्री ओम प्रकाश तवॅर, उपसरपंच, चेचट द्वारा बताया गया की एसोसिएशन द्वारा पुरा सहयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा वृक्षारोपण के बारे में बताए अनुसार प्रत्येक खनन क्षेत्र में जमीन चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जावे।

उक्त लोक जन–सुनवाई के दौरान कोई भी लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(अमित सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
जिला–कोटा, राजस्थान

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

परिशिष्ट 2
(अ)

क्षेत्रीय कार्यालय

rspcb

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004

E-mail : rorpcb.kota@gmail.com | Phone : 0744-2490873

No. : RPCB/RO KOTA/Mines-235/351 Dated : 17.05.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द निवासी 43, पार्क लेन, बल्लभ नगर, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 22021000052896, M.L. No. 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) Near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District-Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं :-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय तहसीलदार चेचट।
(10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
(11) कार्यालय ग्राम पंचायत-चेचट, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी / चेचट, जिला-कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी / चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:30 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6. इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E- mail : rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से

(अमित सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी

Executive Director (Works)

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड़ नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004
E-mail : rorpcb.kota@gmail.com | Phone : 0744-2490873

No. : RPCB/RO KOTA/Mines-236/362

Dated : 17.05.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द, एस.एस. आनन्द स्टोन इंडस्ट्रीज, सी-327(ए), रोड़ नं. 5, इन्द्रप्रस्थ इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला-कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000060192, M.L. No. 07/2022, Mine lease area- 1.5600 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 2,00,767 TPA (ROM) Near Village-Chechat, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/ 432847/2023) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, मैसर्स मनप्रीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं :-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय तहसीलदार चेचट।
(10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
(11) कार्यालय ग्राम पंचायत-चेचट, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड़-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध मे लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail : rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(अमित सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड़ नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004
E-mail : rorpcb.kota@gmail.com | Phone : 0744-2490873

No. : RPCB/RO KOTA/Mines-235/351

Dated : 17.05.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द निवासी 43, पार्क लेन, बल्लभ नगर, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000052896, M.L. No. 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) Near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District-Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध हैं :-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय तहसीलदार चेचट।
(10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
(11) कार्यालय ग्राम पंचायत-चेचट, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी / चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:30 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड़-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail : rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर मे भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(अमित सोनी) क्षेत्रीय अधिकारी

DEMAND NOTICE - NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF T

NOTICE is hereby given that the following borrower/s have availed loan from Equitas Ho Limited (EFL) / Equitas Small Finance Bank Ltd (ESFB). The said borrower/s had/have fa has been classified as Non-Performing Asset as per the guidelines issued by RBI. The deta and the amounts outstanding as on date payable by the borrower/s are mentioned below informed that the undersigned being the Authorized Officer, the secured creditor has ini under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 and not to deal with the said property. on against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any (4) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the property/le

SR NO	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)(NAME OF THE BRANCH)	Demand Notice Date and Amount	Descripti (Imm
1	Branch: RAJSAMAND L.No: SERJMND0233046 Borrower: Gopi Lal Suthar Co – Borrower : Urmila Devi	03-05-2024 & 2,41,784	All that pieces and parcels of non-a having patta no 2012, village – ch Panchayat simiti – kumbhalgarh , area 1620 Sq. Ft. in the name of G and future superstructure thereon a singh; south by :House of Ganesh La West by: Applicants Land : Measur Loan Agreement-Cum- Mortgage o Registration District of Kumbhalgarh
2	Branch: RAJSAMAND L.No: SERJMND0252960 Borrower: Kailashi Co – Borrower : Suresh Chandra Jat	03-05-2024 & 2,53,955	All that pieces and parcels of non-ag having patta no 48,Book No. 1120, sa Ka Kheda , gram panchayat- Gova Bhilwara , Raj , having admeasuring Chandra Jat S/o Dal Chand with all pr Bounded on the North by : House of Das/Balu Vaishnav; East by: Commo by: House of Mangi Lal/Khema Jat Sq.Ft. Under Loan Agreement-Cum- the Sub Registration District of SAHAD
3	Branch: ALWAR L.No: SEIBAWR0266782 Borrower: Amin Khan Co – Borrower : 1-Hanif Khan, 2 - Buddi	03-05-2024 & 2,47,145	All that pieces and parcels of non-agr having patta no 18,Book No. 40, panchayat- Ghadi , Panchayat simiti admeasuring area 298.67 Sq. Yards in all present and future superstructure House of Ibrahim; south by :Self La Common Way : Measurement : Adme Agreement-Cum- Mortgage of the prop District of RAMGARH and Registration
4	Branch: ALWAR L.No: SEIBAWR0285367 Borrower: Mahesh Chand Co – Borrower : Santo	03-05-2024 & 2,04,052	All that pieces and parcels of non-agri having patta no 38,Book No. 14, sankla simiti – Kishangarh bas , District Alwar , in the name of Mahesh Chand S/o Lall thereon and Bounded on the North by ka Makan; East by: Navab ka Makan; Admeasuring area 143.11 Sq. ft . Und property Situated at within the Sub Registration District of ALWAR
5	Branch: SRI GANGANAGAR L.No: SESGGNR0241835 Borrower: Rajendra Kumar Co – Borrower : Shilpa	03-05-2024 & 5,67,203	All that pieces and parcels of non-agric having 1/2. Portion of Plot No. 140(No ,Word no-07, B-Block , District Sri ganga Sq. ft in the name of Rajendra Kumar S superstructure thereon and Bounded :Remaining Part Plot No 140; East by: R Admeasuring area 500 Sq. ft . Under property Situated at within the Sub Reg Registration District of SRI GANGANAGAR
6	Branch: CHITTORGARH L.No: SECITOR0176820 Borrower : Ramesh Nath Yogi Co – Borrower : Sanwari Bai	03-05-2024 & 1,53,886	All that pieces and parcels of non-agricu having patta no 18,Book No. 7, Faganiya,Gram Panchayat -Tumbadiya Chittorgarh , Raj , having admeasuri Rameshawarnath S/o Debinath with all and Bounded on the North by : Hou debinath; East by: Common Way; We Admeasuring area 1428 Sq. ft . Under property Situated at within the Sub Registration District of CHITTORGARH
7	Branch: KOTA L.No: SEIBKTA0238505 Borrower: Suresh Kumar Co – Borrower : Savitri	03-05-2024 & 1,74,730	All that pieces and parcels of non-agricul having patta no 6247,sanklap No 06,villag Panchayat simiti – Anta , District Baran, R the name of Suresh Kumar S/o Kast superstructure thereon and Bounded on south by :Bheru Lal S/o Shrikishan; East Self Open Land : Measurement : Adm Agreement-Cum- Mortgage of the propert District of Anta and Registration District of
8	Branch: RAJSAMAND L.No: SERJMND0261680 Borrower: Gopal kanwar Co – Borrower : Sury Pratap singh.	23-08-2023 & 5,04,337	All that pieces and parcels of non-agricult having patta no 33, Mukhya Gram Karni Ji Sahada District Bhilwara, Raj , having adm of Gopal Kanwar w/o Mahendra Singh w thereon and Bounded on the North by :Narayan singh / Gopal Singh ka house; way : Measurement : Admeasuring area Cum- Mortgage of the property Situated a SAHADA and Registration District of BHILW

Authorized offi

Date - 22.05.2024,Place - Rajasthan

परिशिष्ट - ब

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project Ref. No. 20221000052896, M.L. No.- 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023)" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2024 को समय प्रातः 11:30 बजे "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद" तहसील–चेचट, जिला–कोटा में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका–

क. स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गाँव का नाम	हस्ताक्षर
1	मुकेश कुमार चौधरी	ADM, Kota	[signature]
2	अमित सोनी, R.O, RPCB	RSPCB, Kota	[signature]
3	अनुराग सिंह, AEE	RSPCB, Kota	[signature]
4	सर्वजीतसिंह आनन्द	Kota	[signature]
5	सतनाम सिंह आनंद	Kota	[signature]
6	मनप्रीत सिंह आनंद	Kota	[signature]
7	हर्षितसिंह आनन्द	Kota.	Harshit Anand
8	मनोज यादव	Jaipur	[signature]
9	Simran Singhal	Vitasta, Jaipur	[signature]
10	Jaiprakash Amin	Vitasta Jaipur	[signature]
11	ANIL KR. SINGHAL	SDM Rgm	[signature]
12	Bharat Kr Jadon	TDR, Chechat	[signature]
13			

क. स.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गाँव का नाम	हस्ताक्षर
14	जुगलकिशोर खटीक	चेचट	[illegible]
15	हेमराज मीणा	चेचट	हेमराज
16	रजाक भाई	कुडाला	[illegible]
17	सत्यनारायण तंवर	चेचट	सत्यनारायण
18	बबलु लोधा	चेचट	बबलु
19	कैलाश चन्द मेघवाल	चेचट	[illegible]
20	रामकुवार	चेचट	रामकुवार
21	रमेशचन्द	चेचट	रामकुमार
22	मदनलाल	चेचट	Madanlal
23	रिंकु	चेचट	Rinku
24	ईश्वर	चेचट	[illegible]
25	मोहन लाल	चेचट	[illegible]
26	कन्हैयालाल	चेचट	[illegible]
27	प्यारा कुमार जैन	चेचट	Pyar
28	मनोज कुमार	चेचट	मनोज
29	रोहित कुमार	चेचट	रोहित
30	फूलचन्द	चेचट	[illegible]
31	लोकेश कुमार	चेचट	[illegible]
32	बंशीलाल	चेचट	बंशी
33	मनप्रीत	चेचट	मनप्रीत

क्र.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गाँव का नाम	हस्ताक्षर
	निर्मल कुमार	चेचट	[illegible]
5	ओमप्रकाश नागर उपसरपंच	चेचट	[illegible]
6			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			

परिशिष्ट (द)

परियोजना की मुख्य विशेषताएं
परियोजना की मुख्य विशेषताएं

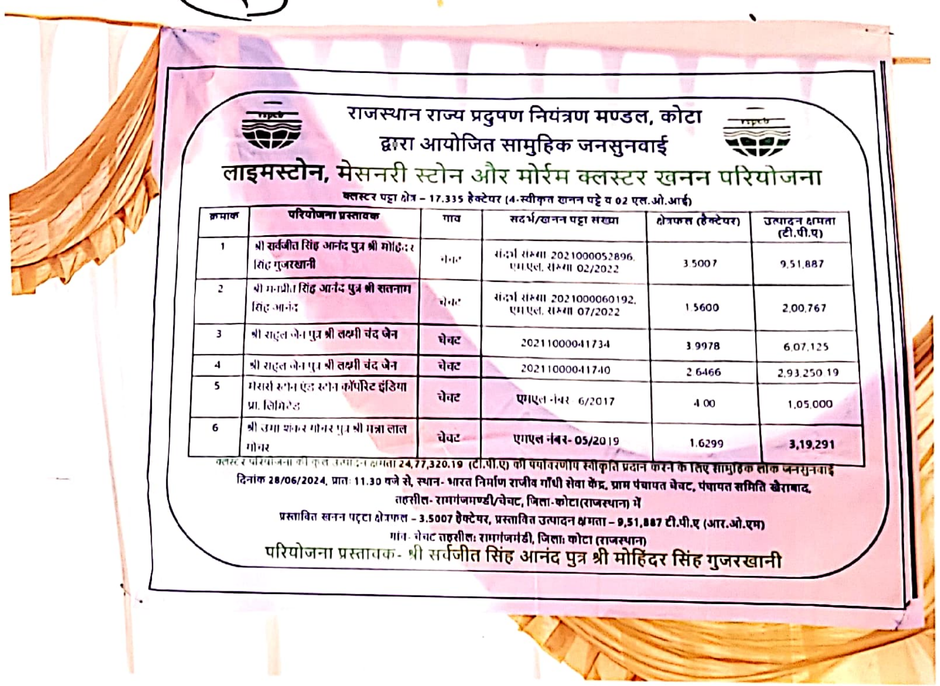
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, कोटा
द्वारा आयोजित सामुहिक जनसुनवाई
लाइमस्टोन, मेसनरी स्टोन और मोर्रम क्लस्टर खनन परियोजना
क्लस्टर पट्टा क्षेत्र – 17.335 हेक्टेयर (4-स्वीकृत खनन पट्टे व 02 एल.ओ.आई)
क्रमांक | परियोजना प्रस्तावक | गाव | सदर्भ/खनन पट्टा संख्या | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | उत्पादन क्षमता (टी.पी.ए)
1 | श्री सर्वजीत सिंह आनंद पुत्र श्री मोहिंदर सिंह गुजरखानी | | संदर्भ संख्या 2021000052896, एम.एल. संख्या 02/2022 | 3.5007 | 9,51,887
2 | श्री मनप्रीत सिंह आनंद पुत्र श्री रतनाम सिंह आनंद | | संदर्भ संख्या 2021000060192, एम.एल. संख्या 07/2022 | 1.5600 | 2,00,767
3 | श्री राहुल जैन पुत्र श्री लक्ष्मी चंद जैन | चेचट | 20211000041734 | 3.9978 | 6,07,125
4 | श्री राहुल जैन पुत्र श्री लक्ष्मी चंद जैन | चेचट | 20211000041740 | 2.6466 | 2,93,250.19
5 | मेसर्स स्टोन एंड स्टोन कॉर्पोरेट इंडिया प्रा. लिमिटेड | चेचट | एमएल नंबर 6/2017 | 4.00 | 1,05,000
6 | श्री उमा शंकर गोचर पुत्र श्री मन्ना लाल गोचर | चेचट | एमएल नंबर- 05/2019 | 1.6299 | 3,19,291
क्लस्टर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 24,77,320.19 (टी.पी.ए) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामुहिक लोक जनसुनवाई
दिनांक 28/06/2024, प्रातः 11.30 बजे से, स्थान- भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद,
तहसील- रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा(राजस्थान) में
प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्रफल – 3.5007 हैक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 9,51,887 टी.पी.ए (आर.ओ.एम)
गांव- चेचट तहसील: रामगंजमंडी, जिला: कोटा (राजस्थान)
परियोजना प्रस्तावक- श्री सर्वजीत सिंह आनंद पुत्र श्री मोहिंदर सिंह गुजरखानी

परिशिष्ट (5)

પરિશિષ્ટ (૨)

परिशिष्ट (2)